

राजकीय महाविद्यालय, खेड़ी चोपटा (हांसी)

अति आवश्यक सूचना

18.08.2026

पासपोर्ट एवं Learner ड्राइविंग लाइसेंस हेतु सरकारी योजना – सत्र 2026-27

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 के लिए राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु Passport एवं Learner Driving Licence Scheme लागू की गई है।

1. पासपोर्ट हेतु सहायता

- राजकीय महाविद्यालयों के सभी नियमित अंतिम वर्ष के स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू है।
- पासपोर्ट जारी करवाने के लिए जमा की गई ₹1500 तक की पासपोर्ट फीस विद्यार्थियों को वापस (Reimburse) की जाएगी।
- केवल पासपोर्ट के लिए आवेदन करना पर्याप्त नहीं है। पासपोर्ट बनने/जारी होने के बाद ही फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. Learner Driving Licence हेतु सहायता

- राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष के नियमित UG विद्यार्थियों के लिए Learner Driving Licence योजना लागू है।

पात्र विद्यार्थी:

1. पोर्टल पर अपने Final Year Admission Portal के वही Login Credentials इस्तेमाल करके Login करें।
2. पासपोर्ट बनवाने के बाद पासपोर्ट की कॉपी, फीस की रसीद तथा बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर अपलोड करें।
3. महाविद्यालय द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
4. सत्यापन के बाद राशि की प्रक्रिया उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी और स्वीकृत राशि संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

पासपोर्ट फीस की प्रतिपूर्ति मुख्यालय (H.Q.) द्वारा की जाएगी, महाविद्यालय द्वारा नहीं। अतः सभी पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाएं तथा आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूर्ण करें।

18/8/26

आदेशानुसार
प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, खेड़ी चोपटा (हांसी)

18/08/26